मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र0 1351 / 1301 / नियम / चार / 2020 भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर, 2020

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय

विषयः विभिन्न विषय के सहायक प्राध्यापकों को उनकी आपाती सेवा की गणना के आधार पर किये गये स्थानन में वित्त विभाग व्दारा पृष्ठांकन बाबत्।

संदर्भः 1.मध्यप्रदेश वित्त संहिता नियम–60
2.वित्त विभाग का आदेश क्र. एफ 2–2/2013/नियम/चार दिनांक 9.03.2013

––00––

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापकों व्दारा वेतन निर्धारण किये जाने हेतु आपाती सेवाओं को जोड़ने के लिए मा0 उच्च न्यायालय में समय समय पर याचिकाएं दायर की गई है। सहायक प्राध्यापकों की आपाती सेवाओं को वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी में स्थानन के लिए गणना में लिये जाने से संबंधित 111 याचिकाएं दायर हुई थी।

2/ मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर व्दारा इन याचिकाओं के लिए आदेश दिनांक 4/4/2012 को पारित कर आपाती सेवाओं को नियमित सेवा की दर मान्य करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के विरूद्ध उच्च शिक्षा विभाग व्दारा रिट अपील दिनांक 14/5/2013 तथा दायर विशेष अनुमति याचिका दिनांक 18/2/2015 न्यायालय से खरिज हो चुकी हैं। इन निर्णयों के पालन में उच्च शिक्षा विभाग व्दारा याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमानों में स्थानन करने के आदेश जारी किये गये थे।

3/ उपरोक्त प्रकरणों में निर्णयों के परिणामस्वरूप कोई अन्य वैधानिक विकल्प शेष न रह जाने से वित्त विभाग व्दारा पूर्व में डब्ल्यू पी 8383/2019डॉ अयंगर के प्रकरण में उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 2/6/2016 में आपाती सेवाओं को सेवाकाल की गणना में लिये जाने के बिन्दु पर सहमति प्रदान की गई थी। पुनः उच्च शिक्षा विभाग व्दारा आपाती सेवाओं के संबंध में विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों में वित्त विभाग की सैद्धान्तिक सहमति के आधार पर सहायक प्राध्यापकों को उनकी आपाती सेवाओं को गणना के आधार पर आदेश जारी किये गये। विभाग व्दारा प्रेषित उपरोक्त प्रकरणों में सहमति न होने से आदेशों का पालन नहीं हो सकने से अवमानना प्रकरण दायर होकर वर्तमान में प्रचलित हैं। उपरोक्त परिदृश्य में उच्च शिक्षा विभाग व्दारा सहायक प्राध्यापकों की आपाती सेवाओं को गुणदोष के आधार पर वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी में स्थानन के लिए गणना में लिये जाने हेतु निर्णय लिये जाने पर वित्त विभाग व्दारा सहमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

20/10/2020

(अखिल कुमार वर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Letter.- 45

पृ0क्र01352/1301/13/2020/नियम/चार भोपाल, दिनांक28 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपिः–

1. मा0 मंत्रीजी, वित्त विभाग के निज सहायक।
2. महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के निज सहायक।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा।
5. आयुक्त, पेंशन,भविष्य निधि एवं बीमा।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, म0प्र0।
7. वित्त विभाग की वेबसाईट पर इन्द्राज करने बाबत्।

की ओर सूचनार्थ ।

28/10/2020

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग